



Neutral Citation-2026: AHC:20226

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 2973 / 2026

बेचू लाल .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य .....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: राजपाल सिंह

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज द्वारा केस संख्या 0015/2026 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202602030300115) में दिनांक 02.01.2026 को पारित आदेश का पालन निजी प्रतिवादी संख्या 5 से 7 द्वारा नहीं किया गया।

2. अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध राहत की मांग कर रहा है, और याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष ही उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. चूंकि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध राहत की मांग कर रहा है, इसलिए कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती; अतः वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"